न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2019/00328

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. वन विभाग कोटा जरिये वन मण्डल वन अधिकारी कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 केशोराम जाति राजपूत निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री पैरोकार सरकार, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 30.06.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 83/2015 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी की गैर खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 10 बीघा सेटलमेन्ट से पूर्व दर्ज रिकार्ड थी. जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 6 बनाऐ गये है, और उक्त आराजी पर वादी पूर्ववत यथावत काबिज चला आ रहा है जो आरजी वाके ग्राम कोलाना तहसील लाडपुरा में स्थित है। उक्त आराजी वादी को दिनांक 19.6.72 को आवंटन हुई थी और आवंटन नियमों के अनुसार 10 वर्ष के बाद खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान है, चूँकि उक्त आराजी का नामान्तकरण सं० 77 दिनांक 30.12.78 को गैर खातेदारी का खोला गया था, और उसके बाद मय नक्शा पासबुक भी जारी कर दी गई थी। जिस पर 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और इसलिये वादी उक्त भूमि को गैर खातेदारी से अपने

खातेदारी में दर्ज कराकर खातेदार घोषित होने व इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। उक्त आराजी ख०नं० 34 पुराने के सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 6 कायम किये गये है, जिस पर वादी पूर्ववत यथावत काबिज चला आ रहा है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने बाद सेटलमेन्ट गलत रूप से वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं कर सिवायचक दर्ज कर दिया, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व रिकार्ड को यथावत रखा जाना आवश्यक था और क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग को एक्जेस्टिंग रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और उसके द्वारा किया गया इस प्रकार का कृत्य कानूनन प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से वादी गत ख०नं० 34 से बने नये नम्बर 6 की 10 बीघा यानि 1.60 है० भूमि पूर्ववत अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। आराजी ख०नं० 34 से बने नये नम्बर 6 को सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया और उस पर नायब तहसीलदार मण्डाना ने मिसल सं० 25/01 दिनाक 07.02.2001 को बेदखली का आदेश वादी के विरूद्ध पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध वादी द्वारा जिला कलक्टर कोटा के यहां अपील सं० 22/02 प्रस्तुत की गई, उक्त अपील दिनांक 06.08.2002 को माननीय जिला कलक्टर कोटा द्वारा स्वीकार कर बेदखली का आदेश निरस्त करते हुये पूर्ववत इन्द्राज दुरूस्ती कर वादी के गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया था, किन्तु आज तक भी तहसीलदार लाडपुरा एवं नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई. इसके विपरीत भूमि सिवायचक होने का नाजायज फायदा उठाते हुये नामान्तरकरण सं० 138 से उक्त आराजी दिनांक 20.09.2010 को प्रतिवादी नं0 2 वन विभाग के खाते दर्ज का दी है, जो कि सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती के परिणामस्वरूप होने से नामान्तरकरण सं० 138 भी प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है, तथा वादी गत ख०नं० 34 से बने नम्बर 6 की 1.60 है० भूमि रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराकर अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त आवंटनशुदा आराजी गत ख०नं० 34 जिसके हाल नये नम्बर 6 कायम किये गये है और जिस पर पूर्व में नक्शे के अनुसार जहां पर वादी को कब्जा संभलाया गया था. वही पर आज भी पूर्ववत यथावत वादी काबिज चला आ रहा है, जो वर्तमान रकबे अनुसार 1.60 है० है, इसलिए ख०नं० 6 की भूमि में से 1.60 है० भूमि जहां पूर्व में वादी काबिज चला आ रहा है, उसी जगह की भूमि 1.60 है० वादी के खाते दर्ज कराने का वादी अधिकारी है। उक्त आराजी सिवायचक से नामान्तरकरण सं० 138 से गलत रूप से प्रति० नं० 1 द्वारा प्रति० नं० 2 वन विभाग के दर्ज कर दिये जाने से प्रतिवादी क्रम 2 रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादी को ताकत के बल पर आराजी ख० नं० 6 की 1.60 है० से बेदखल करने की धमकी दे रहा है, और उसे रोके जाने हेतु वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हो

गया है। इस सम्बन्ध में वादी ने राजस्व अधिकारियों से कई बार दुरूस्ती इन्द्राज कर नये ख०नं० 6 की 1.60 है० भूमि वादी के खाते दर्ज किये जाने तथा प्रति० नं० 2 के खाते से हटाये जाने हेतु निवेदन किये, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की, और दिनांक 06.07.2015 को तहसीलदार सा० लाडपुरा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, और शीघ्र ही वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है, इसलिये वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी है। प्रस्तुत वाद का कारण वादी को आवंटनशुदा गैर खातेदारी की आराजी को दौराने सेटलमेन्ट सिवायचक दर्ज कर दिये जाने और तदुपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से प्रति० नं0 2 वन विभाग के नाम दर्ज कर दिये जाने तथा वादी द्वारा अनेकों बार दुरूस्ती इन्द्राज करने का निवेदन करने के बावजूद दुरूस्ती इन्द्राज नहीं करने तथा दिनांक 06.07.2015 को इन्द्राज दुरूस्ती से इनकार करते हुये शीघ्र ही आराजी से वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में, प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी गत ख०नं० 34 की 10 बीघा वाके ग्राम कोलाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 6 कायम किये गये है, उस ख०नं० 6 की 1.60 है० आराजी का खातेदार वादी को घोषित करते हुये उक्त 1.60है० रकबा प्रतिवादी नं० 2 के खाते से हटाया जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज किया जावे, तथा इसी अनुरूप रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं० 1 व 2 वादी की गैरखातेदारी की कब्जेशुदा आराजी ख०नं० नये 6 की 1.60 है० पर जहां वह पूर्व से काबिज है, उस पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में प्रतिवादी नं० 2 ताकत के बल पर किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न वादी को उक्त आराजी से बेदखल करे। ऐसा कार्य ने प्रतिवादीगण स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं एजेन्टों से करावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2017 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2017 की जानकारी नहीं थी। जब रेस्पो० द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.08.2019 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया। उसी दिन नकल प्राप्त की। निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 से नकल प्राप्ति दिनांक 27.08.2019 तक की अवधि कन्डोन करने के पश्चात अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। वैसे भी उक्त निर्णय एवं डिक्री शून्य है। शून्य आदेशों पर समय अवधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है जो सदभाविक होने से क्षम्य योग्य है। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन फरमाये जाने की कृपा करें। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो० द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 88, 89, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश किया गया था उक्त वाद में यह सहायता चाही गई कि ख0नं0 34 की 10 बीघा वाके ग्राम कोलाना उपतहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिसके सेटलमेंट बाद नये नम्बर 6 कायम किये गये हैं उस खसरा नम्बर 6 की 1.60 है0 आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलांट संख्या 2 वन विभाग खाते से हटाया जाकर रेस्पो० को खातेदार घोषित किया जावे जिसे स्वीकार कर रेस्पो० वादी का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय

में अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से अपीलांट द्वारा आलेखित किया गया कि ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा के ख0नं0 5 व 6 किस्म सिवाय चक बंजड़ भूमि है और उक्त भूमि अपीलांट संख्या 2 वन विभाग के खाते दर्ज है जिस पर वन विभाग का कब्जा चला आ रहा है। उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए रेस्पो० का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को रेस्पो० के खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान करने में त्रुटि कारित की है जबकि उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि जब तक केन्द्रीय नोटिफिकेशन से बाहर नहीं आ जाती या नोटिफिकेशन से रिलीज नहीं कर दी जाती तब तक वन विभाग की भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार देने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वर्तमान में उक्त ख0नं0 6 का रकबा 0.51 है० दर्ज है, उक्त ख0नं0 6 का 1.09 है० बढ़ाना है जो कि ख0नं0 14 में से बढाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है ख0नं0 14 खाता संख्या 1 में सिवायचक है जिसका रकबा 9.38 है० दर्ज है जो किसी भी प्रकार संभव नहीं है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में तनकियात कायम किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.09.2017 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय कोटा ने प्रकरण संख्या 21/2002 में अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण रेस्पोडेन्टगण के दस्तावेजात के आधार पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आराजी का इन्द्राज दुरूस्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता की आवंटनशुदा भूमि है। वादग्रस्त आराजी दिनांक 19.06.1972 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता को आवंटित की गई है। माननीय जिला कलक्टर महोदय कोटा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आधार पर ही रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत वाद प्रस्तुत किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधिवत् आंवटन होने की स्थिति में आवंटन के तीन वर्ष पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना तहसीलदार का कर्तव्य है। वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेन्टगण के पिता को विधिवत् रूप से आवंटन हुआ है। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादग्रस्त आराजी पर आवंटन तिथि से निरन्तर काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा

किए गए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा दस्तोवजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने कारण वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी मे दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.217 विधि सम्मत है तथा इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट स्वयं पक्षकार थे तथा उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 की अपीलांटगण को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांटगण ने जानबूझकर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट ने गलत आधारों पर अपील पेश की है। अपीलांटगण ने अपनी अपील में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज 646 से 648, आर.बी.जे. 2004 पेज 199 से 202, डी.एन.जे. 2009(1) पेज 215 से 218, आर.आर.टी. 2013(2) पेज 887 से 891(एस. सी.), आर.बी.जे. 2016 पेज 20 से 22(एच.सी.), आर.बी.जे. 2017 पेज 122 से 124(एच.सी), आर.आर.डी. 1992 पेज 532 से 534, आर.आर.डी. 1993 पेज 44 से 47, आर.आर.टी. 2008(1) पेज 151 से 154(एस.सी.) प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कोलाना तहसील उपतहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 6 रकबा 1.16 हैक्टेयर के सम्बंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादी रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के गत खसरा नम्बर 34 रकबा 10 बीघा थे तथा उक्त आराजी वादी को आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1978 के द्वारा आवंटित की गई है तथा वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 77 से वादी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। अपने कथनों के समर्थन में वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1978, नामान्तरकरण संख्या 77 की प्रमाणित फोटोप्रतियॉ पेश की है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के वादी को आवंटित होने एवं आवंटन पश्चात वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 77 के द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता है। जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कोलाना तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 5 व 6 कुल किता 2 कुल रकबा 6.71 हैक्टेयर भूमि राज. सरकार के खाते दर्ज है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 20.9.2020 के द्वारा खसरा नम्बर 5 रकबा 1.81 हैक्टैयर एवं खसरा नम्बर 6 रकबा 4.90 हैक्टेयर मे से 4.39 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 6.20 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के आवंटित किए जाने का नोट अंकित है। फोटोप्रति नामान्तरकरण संख्या 138 ग्राम लक्ष्मीपुरा में प्रश्नगत खसरा नम्बर 5 व 6 कुल किता 2 रकबा 6.71 हैक्टेयर सिवायचक के स्थान पर खसरा नम्बर 5, 6मिन कुल किता 2 रकबा 6.20 हैक्टेयर दर्ज किए जाने का अंकन है। अतः वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 138 के द्वारा वन विभाग के खाते दर्ज होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे की विशेष आपत्तियों की चरण संख्या 2 में प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा वन विभाग की भूमि की अवाप्त किए जाने की एवज में राजस्व भूमि वन विभाग को देने की मांग पर तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 5 व 6 की रकबा 6.71 हैक्टेयर किस्म सिवायचक में से 6.2 हैक्टेयर भूमि के आवंटन प्रस्ताव राज्य सरकार के पत्र कमांक 577 दिनांक 17.08.2009 के द्वारा भिजवाए जाने का कथन किया है। जवाबदावे की विशेष आपत्तियों की चरण संख्या 3 में राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 20.07.2010 एवं मण्डल वन

अधिकारी के पत्र संख्या 10755–56 दिनांक 13.08.2010 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रश्नगत खसरा नम्बर 5 व 6 की रकबा 9.71 हैक्टेयर भूमि मे से 6.2 हैक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का आदेश दिनांक 02.09.2010 को जिला कलेक्टर कोटा द्वारा जारी किए जाने का कथन किया गया है। जवाबदावे की विशेष आपत्तियों की चरण संख्या 4 में वादग्रस्त भूमि का दखलनामा वन विभाग के पक्ष में जारी किए जाने तथा इन्तकाल संख्या 138 दिनांक 20.09.2010 के द्वारा वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते दर्ज किए जाने का कथन किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते दर्ज रिकॉर्ड भूमि है। अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त भूमि पर हक अधिकारों को लेकर उभयपक्षकारान के अपने–अपने तर्क है तथा अपने–अपने कथनों के समर्थन में उभयपक्षकारान की ओर से दस्तावेज/राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पर्चा तनकीयात भी संलग्न है जिस पर दिनांक 07.03.2017 अंकित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा असहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की जा चुकी थी, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन किए बिना ही निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 पारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के हक अधिकारों को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है अतः प्रकरण में कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्योपरांत तनकीवार निष्कर्ष पारित किए जाने के पश्चात ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पंहुचा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 83/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में कायम की गई प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 20.08.2025 को स्वयं उपस्थित रहें।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा